खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 20/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गजेश मेवाडा

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 20/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/23

सायल :–		गैर सायल :–
जरिये सरकार दिलीप सिंह		गजेश मेवाडा पुत्र श्री दलपतसिंह मेवाडा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी	बनाम	मैसर्स पाल बालाजी बेवरेज एच
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं		1–96–102/(ए) जाखामाता इण्डस्ट्रीयल
स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		एरिया, सुमेरपुर, पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।

–:निर्णयः–

दिनांकः 25.07.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 30.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिनांक 03.11.2015 को वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पाल बालाजी बेवरेज एच 1–96–102/(ए) जाखामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया, सुमेरपुर, पाली राज पर पहूचें तो वहां श्री गजेश मेवाडा पुत्र श्री दलपतसिंह मेवाडा को पैकेज ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) की बिक्री करते हुए पाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपना परिचय देकर फर्म मालिक की उपस्थिति में फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री में लगभग 200 कार्टुन ड्रिंकिंग वॉटर भरा हुआ था जिसको वह आम जन को बिक्री कर रहा था। उक्त वॉटर बॉटल में मिलावट का संदेह होने पर रुबरु गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं दुसरी परत पर रसीद प्राप्त कर विक्रेता एवं मालिक को सूचित किया कि उक्त ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर श्रीमान डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सीरियल नम्बर आर–408 लिखा व नमूना का विवरण अंकित किया गया। सोलह बोटल को चार भागो में बाटकर लेबल व विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक नमूनें को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोटल पर पेपर स्लीप, कोड व क्रमांक आर–408 गोद से नियमानुसार चारों नमूना बोतल के मूंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलमुहर किया, एक सील नमूने के मुंह पर एक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 20 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गजेश मेवाडा

सील पैंदे पर दो नमूनें की बॉडी पर जहां पर धागे की गाठ लगाई जाकर सीलबंद व सीलमूहर किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फॉर्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार कर श्री किशोर पाण्डे चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक कर्मचारी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 04.11.2015 का जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस 883 / एक्ट / 2015 / 964 दिनांक 10.12.2015 के द्वारा मालूम हुआ कि उक्त पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांण्ड (century) मिसब्राण्ड श्रेणी का है।

श्री गजेश मेवाडा पुत्र श्री दलपतसिंह मेवाडा मैसर्स पाल बालाजी बेवरेज एच 1–96–102 / (ए) जाखमाता इण्डस्ट्रीयल एरिया, सुमेरपुर, पाली राज ने मिसब्राण्ड पैकेज ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) की बिक्री कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज / 2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक / कोर्ट / एडीएम / 2023 / 24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान् / वकुलाय को सूचित किया गया।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। हस्तगत पत्रावली न्यायालय हाजा को स्थानान्तरण होने से पूर्व दिनांक 23.01.2019 को अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रकरण में जवाव पेश कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध की गई जैर आलोच्य कार्यवाही से इनकार कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने वावत् निवेदन किया था। किन्तु हस्तगत पत्रावली न्यायालय हाजा को स्थानान्तरण होने के उपरान्त अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने जवाव पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2015 को वास्ते जांच लिये गये नमूना जो कि खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के द्वारा मिसब्रांड श्रेणी का पाया गया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त अपराध की सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यूदण्ड नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि दिनांक 03.11.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पाल बालाजी बेवरेज एच 1–96–102 / (ए) जाखमाता इण्डस्ट्रीयल एरिया, सुमेरपुर, पाली राज में ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री पैकेज ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) नमूना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 20/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गजेश मेवाडा

क्रमांक आर–408 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2015 में 'Misbrand' होना पाया गया। यदि अप्रार्थी खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो अधिनियम 2006 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौति नहीं दी गई।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'मिसब्रांडेड' खाद्य सामग्री पैकेज ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) नमूना क्रमांक आर–408 का उत्पादन/विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 52 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'मिसब्रांडेड' श्रेणी की खाद्य सामग्री पैकेज ड्रिंकिग वॉटर ब्रांण्ड (century) नमूना क्रमांक आर–408 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5000/– रुपये मात्र अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

दिनांक :

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.20/2024/2025/

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner